

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि दूर्घता में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (जिवाल)  
फैक्स : 0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4185

दिनांक : 09/12/11

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के विर्यानुसार ग्रन्थम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता विभान शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

- महाविद्यालय 28(17) में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से कर ले अन्यथा अगले सत्र 2011-12 में छात्रों को प्रवेश न दे। नियुक्ति करने वाली डी.सी.डी.सी. कार्यालय में सूचित करें। उसी के पश्चात् अगले सत्र में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति पर विचार किया जायेगा।

आदेशानुसार  
3  
कुलसचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, ग्रन्थम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, ग्वालियर।
- सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुङ्गा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 41237

दिनांक : 20/12/11

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार ग्रन्थम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेस, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैसिक बी.एस.-सी. नर्सिंग (द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

- Post Basic B.Sc. Nursing may be started but college needs more M.Sc. Nursing faculty in all Specialities of Nursing programs, labs be improved **a.s.** N.C.I. guidelines.
- Principal and other faculty be appointed through 28(17) and approved by the University and pay shall be given through cheques.
- Books worth Rs. 50,000/- with 100 titles be purchased in this session.
- Library be arranged properly
- 30 new computers with legal software be purchased.

आदेशानुसार  
*3*  
कुलसचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, ग्रन्थम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेस, ग्वालियर।
- सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*R.S.*  
सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जि कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (बिवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ ५२३७

दिनांक : 21/12/11

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार ग्रन्थम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/सचालित एम.एस-सी. नर्सिंग (द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां परिनियम 28(17) के अन्तर्गत करायी जावें।
2. एक क्रीड़ाउथिकारी एवं एक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्तियां परिनियम 28(17) के अन्तर्गत करायी जावें।
3. पुस्तकालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम से संबंधित रु. तीन लाख मूल्य की नई पुस्तकें क्रय की जावें।
4. खेल प्रांगण को विकसित किया जावे।

आदेशानुसार  
3 अक्टूबर 2013  
कुलसचिव

### प्रति,

1. ग्रामार्थ, ग्रन्थम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, ग्वालियर।
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौसिल, टैम्पल लैन, कोट्ला मार्ग, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व  
कि किसी उन्न पदाधिकारी के नाम न हो।  
सम्बोधित विषय पर वह एक ऐसी  
व्यवहार हुआ हो जो पञ्च क्रांक एवं विळंग  
आवश्यक लिखा जाए जिससे संविधान हो।



ग्राम : गृजीविरोही  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4595

दिनांक: 25/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध ग्रन्थालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, ग्वालियर (0751-3202428) को सब्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एस.-सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.ए.जे. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विभाग अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442603)
- (2) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, डैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुसंधान है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, घोटाला राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचबा पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संघोक्तक एवं सदस्यों से सम्बन्धित कर विरीक्षण करायें। समिति संघोक्तक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित लम्बे में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन १५ दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संघोक्तक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, सोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय ०३ माह में विरीक्षण बहारी करता है तो समिति स्वतः ही जारी और पुक़ विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुर्वजल किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार लम्बद्धता प्राप्त किए विवा ज्ञानों को प्रयोग देवा अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ लम्बद्धता शाखा में कार्यवात अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे। तथा महाविद्यालय की कार्यालय से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मालदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण १५ दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

गवर्नर पत्र व्यवसाय कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बारे से ही किया जावे ज  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के लाभ हो।  
सम्बोधित विषय पर यहि पूर्ण में पर  
व्यवहार कुरा हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे तिसले सुनिता हो।



ग्राम : गुलीबाईटी  
दूरध्वनि : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4594

दिनांक: 25/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध घटनम कोलेज ऑफ बर्टिंग साइंसेस, ग्वालियर (0751-3202428) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संवादाप्रति एम.एस.टी. बर्टिंग पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये जानकारी कुलपति भवेद् वस्त्यायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकार्यम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिकार्यता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)

(2) प्रो. राधा तोमर, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) प्रो. देव्युका दास, प्राचार्या, कोलेज ऑफ बर्टिंग जब विकास व्यास केन्सर पहाड़िया, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधारों के अनुलप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विश्वेषण कर शुल्क, धरेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक टर्टफॉक, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिनेश तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्रावर्त्तीशैक्षणिक एवं अशैक्षणिक टर्टफॉक की विशुक्तियों का प्रमाण एवं चेतन आदि के बारे में व्यष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष यूवना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधिवित अवधि में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पाप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई दौरी के लिए महाविद्यालय द्वारा उत्तरदायी होगा। विस्तृती सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, शोपल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति द्वारा विरत ले जायेगी और युक्त विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्परता ही विरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा खब्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय / कालालय सहायक पञ्चाली लेकर जायेंगे। तथा महाविद्यालय की वस्तुसुनियत से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

*3 mm*  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर मेजांकर आगड़ है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधिवित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अंदर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुष्टा भवन, शोपल
4. कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

*PR*  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बान से ही किया जावे ज  
कि किसी अन्य प्राप्तिकारी के बान से।  
सम्बद्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुनिश्चित हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५०५५

दिनांक: २१.६.१२

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर दे अम्बद्ध ग्रन्थालय कॉलेज ऑफ बिरिंग साइंसेस, ग्वालियर (0751-2569336) को  
सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/सचिवी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने  
विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत विभागीय समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442565)

(2) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।  
(3) श्रीमती सुखदा शर्मा, प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर  
शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुबंध/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं  
पाठ्यक्रम/आर्टिकेल्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की  
नियुक्तियों का प्रमाण एवं उनके बारे में स्पष्ट विवरण अनुसंधाने अकिञ्चन करें। ग्रन्थालय प्रावर्ग/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने  
के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है  
कि वे उक्त विधिविरुद्ध समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा  
करने का उत्तराधिकार निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरवाही होगा। जिसकी सूचना  
आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह गें निरीक्षण बढ़ी करता है तो समिति स्वयं विरस्त हो  
जायेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। उत्तरवाही ही निरीक्षण  
समिति का पुर्वगति किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अव्याप्तिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय अध्यक्ष प्रशासनी लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की  
वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करवेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / ई.ए. / जावेद निरीक्षण द्वारा देय

3मि.०२  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण  
दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, जलपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)